फेरा का सं0 और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख के साथ
1	2	3

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, राँची

विविध वाद सं0 154/2019–20

टी0 आर0 सं0 51/2020–21

ए0सी0टी आर0 सं0–380/2020–21

राज्य .... वादी

बनाम

मनीष साहु वैगरह ....प्रतिवादी

आदेश

6.7.2021 अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत विविध (जमाबन्दी रद्द) वाद संख्या –154/2019–20 का अभिलेख उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, राँची से अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है। विविध (जमाबन्दी रद्द) वाद संख्या –154/2019–20 का अभिलेख, अंचल अधिकारी, नगड़ी के पत्रांक 3900, दिनांक – 09.06.2020 के द्वारा प्राप्त हुआ है । अंचलाधिकारी नगड़ी , राँची के द्वारा जाँचोपरान्त मौजा–टिकराटोली, थाना नं0 –125, खाता सं०–151, प्लॉट नं0–418/1036, रकबा –16.39 एकड़ गैरमजरूआ भूमि का मनीष कुमार साहु एवं राखी साहु पिता/ पति – सुधीर प्रसाद, निवासी – फ्लैट नं०–101, कृष्णा अपार्टमेंट, रातू रोड, सुखदेवनगर, राँची के नाम से कायम जमाबन्दी को बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा –4 (एच0) के तहत जमाबन्दी रद्द करने का अनुशंसा की गई है। अतः अंचल अधिकारी, नगड़ी, राँची के अनुशंसा से सहमत होते हुए सरकार के सचिव राजस्व निबंधक एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड सरकार , राँची के पत्रांक –06 / भूमि का नियमितीकरण–89/2020–1704/रा०, दिनांक 15.07.2020 एवं उपायुक्त राँची के ज्ञापांक–1879(i)/रा० दिनांक 07.09.2020 के आलोक प्रस्ताव अग्रेतर कार्रवाई हेतु इस न्यायालय को भेजा गया है।

विपक्षी की ओर से उपस्थिति विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, मौजा – टिकराटोली, थाना नं0 –125, खाता सं०–151, प्लॉट नं0–418/1036,

केस का क्र० और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

2

रकबा –16.39 एकड़ स्थित निम्नांकित भूमि आर० एस० खतियान के अनुसार सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फोर इंडिया इनकौन्सिल के नाम से गैरमजरूवा मालिक दर्ज है। जमीन्दारी उनमुलन के पूर्व ही निम्नांकित भूमि अली हुसैन पिता – हाजी फैज अली के नाम से सेक्रेट्री ऑफ स्टेट फोर इंडिया इनक्रान्सिल द्वारा बन्दोबस्त कर भौतिक दखलकब्जा सौंप दिया था। वर्ष 1947 में देश विभाजन के समय उक्त बन्दोबस्त धारक अली हुसैन पिता – हाजी फैज अली पाकिस्तान चले गये । उनके द्वारा धारित उपरोक्त बन्दोबस्ती की गई भूमि को निष्क्रांत सम्पति घोषित करते हुए तत्कालिन जमीन्दार द्वारा इसे पुन अपने अधीन ले लिया गया। उपरोक्त भुमि को विस्थापितो के बीच आवंटन हेतु Displaced Person (Compensation and Rehabilitation) Act 1954 के अनुसार पाकिस्तान से आये विस्थापितो के बीच उक्त भूमि को विधिवत निलामी दिनांक 21.04.1960 को किया गया था।

Displaced Person (Compensation and Rehabilitation) Act 1954 की धारा 54 मे वर्णित प्रावधान के अनुसार गया, पुरूलिया, हजारीबाग, राँची जिले के अन्तर्गत निष्क्रांत सम्पति के निष्पादन हेतु निलामकर्त्ता चौ० पारस दास एण्ड सन्स् द्वारा संचलित निलामी कार्यक्रम मे प्रबंध अधिकारी द्वारा बेचा गया।

उपरोक्त खाता सं० 151 के अन्तर्गत आर० एस० प्लॉट सं० 418 (अंश) कुल रकबा 10.30 एकड मधे रकबा 7.04 एकड भूमि को मेघीबाई पति स्व० ताराचंद गिधर ने रू० 3550/– की अधिकतम बोली लगाकर निलामी मे क्रय किया है। उनके द्वारा उक्त निलामी राशि को दिनांक 10.07.1960 ई० को भुगतान करने के पश्चात् प्रबंध अधिकारी, निष्क्रांत सम्पति, गया क्षेत्र ने मेमो संख्या 3043–44 दिनांक 14.10.1960 द्वारा उक्त भूमि से संबंधित खरिदगी प्रमाण पत्र भूस्वामीनी मेघीबाई के नाम निर्गत किया गया। तारीख खरिदगी से ही उक्त खरिदगी भूमि पर उपरोक्त मेघीबाई निर्विवाद एव शातिपूर्वक दखल काबिज रह कर अपना नाम तत्कालिन अंचल कार्यालय रातु में दाखिल खारिज वाद संख्या 172 आर 27/1982–83 दिनांक 17.09.1982 ई० को पारित आदेश के आलोक मे राज्य सरकार को बकाया एंव अद्यतन लगान का भुगतान कर रसीद प्राप्त करने लगे। उनके नाम से जमाबंदी अंचल कार्यालय के पंजी ।। के जिल्द

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
2	3

संख्या – 2 पृष्ठ संख्या 446 में विधिवत संधारित की गई थी।

उपरोक्त खाता सं0 151 के अन्तर्गत प्लॉट सं0 418 कुल रकबा 10.30 एकड़ म०ो शेष रकबा 2.50 एकड़ भूमि को बसुआ महतो पिता– किशुन महतो द्वारा रू0 1250/– की अधिकतम बोली लगाकर निलामी में क्रय किया है। उनके द्वारा उक्त निलामी राशि का भुगतान करने के पश्चात प्रबंध अधिकारी, निष्क्रान्त सम्पति, गया क्षेत्र ने मेमो संख्या 3041–42, दिनाक 14.10.1960 द्वारा उपरोक्त निलामी में प्राप्त भूमि का खरिदगी प्रमाण पत्र भूस्वामी बसुआ महतो के नाम निर्गत किया गया। तारिख खरिदगी से ही उक्त खरिदगी भूमि पर उपरोक्त बसुआ महतो निर्विवाद एवं शांति पूर्वक दखल काबिज रह कर अपना नाम तत्कालिन अंचल कार्यालय रातू में दाखिल खारिज करवाकर राज्य सरकार को बकाया एवं अद्यतन लगान का भुगतान कर रसीद प्राप्त करने लगे। उनके नाम से जमाबंदी अंचल कार्यालय के पंजी ।। जिल्द संख्या–2 पृष्ठ संख्या 01 में विधिवत संधारित की गई थी।

उपरोक्त खाता सं0 151 के अन्तर्गत प्लॉट सं0 416/1036 कुल रकबा 11.70 एकड़ म०ो रकबा 2.50 एकड़ भूमि रहमतुल्ला अंसारी पिता– शेख रहमान द्वारा रू0 1250/– की अधिकतम बोली लगाकर निलामी में क्रय किया गया है। उनके द्वारा उक्त निलामी राशि का भुगतान दिनाक 10.07.1960 को करने के पश्चात् प्रबंध अधिकारी, निष्क्रांत सम्पति, गया क्षेत्र ने मेमो संख्या 3039–40 दिनाक 14.10.1960 को उपरोक्त निलामी में प्राप्त भूमि का खरिदगी प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। तारिख खरिदगी से ही उक्त खरिदगी भूमि पर उपरोक्त रहमतुल्ला अंसारी निर्विवाद एवं शांति पूर्वक दखल काबिज रह कर अपना नाम तत्कालिन अंचल कार्यालय रातू में दाखिल खारिज करवा कर राज्य सरकार को बकाया एवं अद्यतन लगान का भुगतान कर रसीद प्राप्त करने लगे। उनके नाम से जमाबंदी पंजी ।। के जिल्द संख्या –1 पृष्ठ संख्या 263 में विधिवत संधारित की गई थी।

उपरोक्त खाता सं0 151 के अंतर्गत प्लॉट सं0 418/1036 कुल रकबा 11.70 एकड़ म०ो रकबा 3.30 एकड़ भूमि को मंगरा लोहार , पिता – गुलाल लोहार द्वारा रू0 1650/– की अधिकतम बोली लगाकर क्रय किया गया है। उनके द्वारा उक्त निलामी राशि दिनाक 10.07.1960 ई० भुगतान

करने के पश्चात् प्रबंध अधिकारी, निष्क्रांत सम्पति, गया क्षेत्र ने मेमो संख्या 3035–36, दिनांक 14.10.1960 द्वारा उपरोक्त निलामी मे प्राप्त भूमि की खरिदगी प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। तारिख खरिदगी से ही उक्त खरिदगी भूमि पर उपरोक्त मंगरा लोहार निर्विवाद एवं शाति पूर्वक दखल काबिज रह कर अपना नाम तत्कालिन अंचल कार्यालय रातू में दाखिल खारिज करवाकर राज्य सरकार को बकाया एव अद्यतन लगान का भुगतान कर रसीद प्राप्त करने लगे। उनके नाम से जमाबंदी अंचल कार्यालय के पंजी –।। के जिल्द सख्या – 1 पृष्ठ संख्या 185 में विधिवत संधारित की गई थी।

उपरोक्त खाता सं0 151 के अर्न्तगत प्लॉट सं0 418/1036 कुल रकबा 11.70 एकड़ मधे रकबा 2.37 एकड़ भूमि को किशुन महतो , पिता– सबुर महतो, जाति कोयरी ने रू0 1200/– की अधिकतम बोली लगाकर दिनांक 10.07.1960 को निलामी मे क्रय किया गया है। उनके द्वारा उक्त निलामी राशि का भुगतान करने के पश्चात् प्रबंध अधिकारी, निष्क्रांत सम्पति, गया क्षेत्र ने मेमो संख्या 3037–38, दिनांक 14.10.1960 द्वारा उपरोक्त निलामी में प्राप्त भूमि का खरिदगी प्रमाण पत्र किशुन महतो के नाम से निर्गत किया गया। तारिख खरिदगी से ही उक्त खरिदगी भूमि पर उपरोक्त किशुन महतो निर्विवाद एव शांति पूर्वक दखल काबिज रह कर अपना नाम तत्कालिन अंचल कार्यालय रातू में दाखिल खारिज करवाकर राज्य सरकार को बकाया एंव अद्यतन लगान का भूगतान कर रसीद प्राप्त करने लगे। उनके नाम से जमाबंदी पजी –।। जिल्द संख्या – 1 पृष्ठ संख्या 145 में विधिवत संधारित की गई थी

उपरोक्त बंदोबस्त धारक मेघीबाई के मृत्यु के पश्चात् उनके सभी जिवित वंशज श्रीमती भंजना देवी एवं अन्य द्वारा उपरोक्त खाता सं0 151 के अन्तर्गत प्लॉट सं0 418, सब प्लॉट सं0 418 का अंश, कुल रकबा 10. 80 एकड़ मधे रकबा 7.04 एकड़ भूमि को निबंधित विक्रय पत्र संख्या 15876/13661, वर्ष 2010 द्वारा श्री कमल भूषण पिता– विश्वनाथ भगत एव लाल धर्मराज नाथ शाहदेव, पिता– स्व0 लाल राजेन्द्र नाथ शाहदेव को हस्तांतरित कर दिया । उक्त भूमि के खरीदगी की तिथि से उपरोक्त क्रेतागण संयुक्त रूप से शांतिपूर्वक एंव निर्विवाद रूप से दखल काबिज रह कर चाहरदिवारी वगैरह का निर्माण करवाया तथा अंचल कार्यालय नगड़ी

और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे मे टिप्पणी, तारिख के साथ
1	2	3

में दाखिल खारिज वाद संख्या 1033 आर 27 / 2010–11 द्वारा उक्त भूमि का नामांतरण अपने नाम से स्वीकृत करवाकर राज्य सरकार को अद्यतन लगान का भुगतान करने लगे। उनके नाम से उपरोक्त भूमि की जमाबंदी पंजी ।। के जिल्द संख्या 4, पृष्ठ संख्या 93 में विधिवत संधारित की गई थी।

उपरोक्त बंदोबस्त धारक बसुआ महतो के मृत्यु के पश्चात उनके सभी जीवित वंशजगण श्रीमती उर्मिला देवी वगैरह द्वारा उपरोक्त खाता सं0 151 के अन्तर्गत प्लॉट सं0 418, सब प्लॉट सं0 418/अंश, कुल रकबा 10.80 एकड़ मधे रकबा 2.50 एकड़ भूमि निबंधित विक्रय पत्र संख्या 4516/3940 वर्ष 2016 द्वारा श्री कमल भूषण पिता – विश्वनाथ भगत एंव लाल धर्मराज नाथ शाहदेव, पित्ता– स्व० लाल राजेन्द्र नाथ शाहदेव को हस्तांतरित कर दखल सौप दिया था। उक्त भूमि के खरीदगी की तिथि से उपरोक्त क्रेतागण संयुक्त रूप से शांतिपूर्वक एंव निर्विवाद रूप से दखल काबिज रह कर चाहरदिवारी वगैरह का निर्माण करवाया तथा अंचल कार्यालय नगड़ी में दाखिल खारिज वाद संख्या 725 आर 27/2016–17 द्वारा नामांतरण अपने नाम से स्वीकृत करवाकर राज्य सरकार को अद्यतन लगान का भुगतान करने लगे। उनके नाम से उपरोक्त भूमि की जमांबंदी पंजी ।। के जिल्द संख्या 6, पृष्ठ संख्या 90 में विधिवत संधारित है।

उपरोक्त बंदोबस्त धारा रहमातुल्ला अंसारी को मृत्यु के पश्चात उनके सभी जीवित वंशजगण श्रीमती जीन्नत जहाँ वगैरह उक्त खाता सं0 151 के अन्तर्गत प्लॉट सं0 418/1036, सब प्लॉट सं0 418/1036 (अंश), कुल रकबा 11.70 एकड़ मधे रकबा 2.50 एकड़ भूमि को निबंधित विक्रय पत्र संख्या 4550/9963 वर्ष 2016 द्वारा श्री कमल भूषण पिता– विश्वनाथ भगत एव लाल धर्मराज नाथ शाहदेव, पिता– स्व0 लाल राजेन्द्र नाथ शाहदेव को हस्तांतरित कर दखल सौंप दिया था। उक्त भूमि के खरीदगी की तिथि से उपरोक्त क्रेतागण संयुक्त रूप से शांतिपूर्वक एंव निर्विवाद रूप से दखल काबिज रह कर चाहरदिवारी वगैरह का निर्माण करवाया तथा अंचल कार्यालय नगड़ी में दाखिल खारिज वाद संख्या 724 आर 27/2018–17 द्वारा नामांतरण अपने नाम से स्वीकृत करवाकर राज्य सरकार को अद्यतन लगान का भुगतान करने लगे। उनके नाम से उपरोक्त भूमि की जमाबंदी पजी ।। के जिल्द संख्या 6, पृष्ठ संख्या 89 में संधारित

केस का सं० और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	

है।

उपरोक्त बंदोबस्त धारक मंगरा लोहरा के मृत्यु के पश्चात उनके सभी जीवित वंशजगण सुरेश लोहार वगैरह उक्त खाता सं0 151 के अन्तर्गत प्लॉट सं0 418/1036, सब प्लॉट सं0 418/1036 का अंश, कुल रकबा 11.70 एकड़ मधे रकबा 1.98 एकड़ भूमि को निबंधित विक्रय पत्र संख्या 4515/3938 वर्ष 2016 द्वारा श्री कमल भूषण, पिता श्री विश्वनाथ भगत को हस्तांतरित कर दखल सौप दिया था। उक्त भूमि के खरीदगी की तिथि से उपरोक्त क्रेता शांतिपूर्वक एंव निर्विवाद रूप से दखल काबिज रह कर चाहरदिवारी वगैरह का निर्माण करवाया तथा अंचल कार्यालय नगड़ी मे दाखिल खारिज वाद संख्या 726 आर 27/2018–17 द्वारा नामांतरण अपने नाम से स्वीकृत करवाकर राज्य सरकार को अद्यतन लगान का भुगतान करने लगे। उनके नाम से उपरोक्त भूमि की जमाबंदी पजी ।। के जिल्द संख्या 6, पृष्ठ संख्या 96 मे संधारित है।

उपरोक्त बंदोबस्त धारक मंगरा लोहरा के मृत्यु के पश्चात उनके सभी जीवित वंशजगण सुरेश लोहार वगैरह उक्त खाता सं0 151 के अन्तर्गत प्लॉट सं0 418/1036, सब प्लॉट सं0 418/1036 का अंश कुल रकबा 11.70 एकड मधे रकबा 1.32 एकड़ भूमि को निबंधित विक्रय पत्र संख्या 4516/3539 वर्ष 2016 द्वारा श्री लाल धर्मराज नाथ शाहदेव, पिता – स्व० राजेन्द्र नाथ शाहदेव को हस्तांतरित कर दखल सौप दिया। उक्त भूमि के खरीदगी के तिथि से उपरोक्त क्रेता शांतिपूर्वक एंच निर्विवाद रूप से दखल काबिज रह कर चारदिवारी वगैरह का निर्माण करवाया तथा अंचल कार्यालय नगड़ी मे दाखिल खारिज वाद संख्या 723 आर 27/2018–17 द्वारा नामांतरण अपने नाम से स्वीकृत करवाकर राज्य सरकार को अद्यतन लगान का भुगतान करने लगे। उनके नाम से उपरोक्त भूमि की जमाबंदी पजी ।। के जिल्द संख्या 6, पृष्ठ संख्या 97 में संधारित है।

उपरोक्त बंदोबस्त धारक किशुन महतो के मृत्यु के पश्चात उनके सभी जीवित्त वंशजगण श्रीमती मुन्नी देवी वगैरह उक्त खाता सं0 151 के अन्तर्गत प्लॉट सं0 418/1036, सब प्लॉट सं0 418/1036 का अंश कुल रकबा 11.70 एकड़ मधे रकबा 2.37 एकड़ भूमि को निबंधित विक्रय पत्र

...और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे मे टिप्पणी, तारिख के साथ 3

संख्या 3058 वर्ष 2016 द्वारा श्री कमल भूषण पिता– विश्वनाथ भगत एवं लाल धर्मराज नाथ शाहदेव, पिता– स्व० लाल राजेन्द्र नाथ शाहदेव को हस्तांतरित कर दखल सौंप दिया था । उक्त भूमि के खरीदगी की तिथि से उपरोक्त क्रेतागण शांतिपूर्वक एवं निर्विवाद रूप से दखल काबिज रह कर चारदिवारी घेराबंदी का निर्माण करवाया तथा अंचल कार्यालय नगड़ी में दाखिल खारिज वाद संख्या 722 आर 27 / 2016–17 द्वारा नामांतरण अपने नाम से करवाकर राज्य सरकार को अद्यतन लगान का भुगतान करने लगे। उनके नाम से उपरोक्त भूमि की जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या 8, पृष्ठ संख्या 80 में विधिवत संधारित है।

उपरोक्त मौजा – टिकराटोली, थाना नं० –125, खाता सं०–151, प्लॉट नं०–418/1036 एवं प्लॉट सं० 418 कुल रकबा –16.30 एकड़ पर उपरोक्त क्रेतागण लाल धर्मराज नाथ शाहदेव, पिता स्व० लाल राजेन्द्र नाथ शाहदेव एवं श्री कमल भूषण, पिता श्री विश्वनाथ भगत का उपरोक्त खरीदगी की तिथि से समस्त हक हकियत के साथ पूर्ण स्वामित्व एवं नियंत्रण में रहा तथा उन्हें समस्त हस्तांतरणीय अधिकार प्राप्त हुआ।

लाल धर्मराज नाथ शाहदेव, पिता स्व० लाल राजेन्द्र नाथ शाहदेव एवं श्री कमल भूषण, पिता श्री विश्वनाथ भगत ने अपने निजी एवं वैधानिक आवश्यकता की पूर्ती हेतु उपरोक्त खरीदगी भूमि अर्थात मौजा – टिकराटोली, थाना नं० –125, खाता सं०–151, प्लॉट नं०–418 कुल रकबा 9.54 एकड़ मधे रकबा 7.54 एकड़ भूमि एवं प्लॉट सं० 418/1036, रकबा – 6.85 एकड़ कुल रकबा 14.39 एकड़ भूमि को निबंधित विक्रय पत्र सं० 90 दिनांक 20.01.2018 द्वारा विपक्षी मनीष कुमार साहु पिता श्री सुधीर कुमार साहु को हस्तांतरित कर दखल कब्जा सौंप दिया । तारीख खरीदगी से विपक्षी मनीष कुमार साहु अपने उपरोक्त खरीदगी भूमि पर शांतिपूर्वक एवं निर्विवाद रूप से दखल काबिज रहकर दाखिल खारीज वाद सं० 230 आर० 27/2018–19 द्वारा नामांतरण अपने नाम से विधिवत स्वीकृत करवाकर राज्य सरकार को अद्यतन लगान का भुगतान करते चले आ रहे है। उनके नाम से उपरोक्त भूमि की जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या 8, पृष्ठ संख्या 52 में विधिवत संधारित है। इसी प्रकार उपरोक्त क्रेतागण लाल धर्मराज नाथ शाहदेव, पिता स्व० राजेन्द्र नाथ शाहदेव एवं श्री कमल भूषण, पिता श्री विश्वनाथ भगत ने अपने निजी वैधानिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु

केस का सं० और तारिख	आदेश ओर पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख
1	2	

उपरोक्त खाता सं0 151, प्लॉट सं0 418 कुल रकबा 9.54 एकड मधे रकबा 2.00 एकड़ भूमि को निबंधित विक्रय पत्र सं 91 दिनांक 20.01.2018 द्वारा विपक्षी श्रीमती राखी साहू पति श्री मनीष कुमार साहु को हस्तातरित कर दखल कब्जा सौंप दिया । तारीख खरीदगी से विपक्षी श्रीमती राखी साहू अपने उपरावक्त खरीदगी भूमि पर शांतिपूर्वक एवं निर्विवाद रूप से दखल काबिज रहकर दाखिल खारीज वाद सं0 2303 आर 27/2018-19 द्वारा नामांतरण अपने नाम से विधिवत स्वीकृत करवाकर राज्य सरकार को अद्यतन लगान का भुगतान करते चले आ रहे है। उनके नाम से उपरोक्त भूमि की जमाबंदी पंजी।। के जिल्द सं0 08, पृष्ठ सं० 53 में संधारित है ।

उपरोक्त विषयांकित भूमि निष्क्रांत सम्पति सह अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत निष्क्रांत सम्पति पूर्णतः केन्द्र सरकार के अधिन निहित हो जाता है एवं केन्द्र सरकार किसी भी विस्थापित व्यक्ति को Displaced Person (Compensation and Rehabilitation) Act 1954 के तहत वैसी भूमि को निलाम कर बंदोबस्त करने मे पूर्णतः सक्षम है। तदानुसार वर्ष 1960 में केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त भाक्ति के आलोक में उपरोक्त विस्थापित व्यक्तियों अर्थात श्रीमती मेथीबाई, रहमातुल्ला अंसारी, बसुआ महतो, किशुन महतो एवं मंगरा लोहार को अधिकतम बोली के आधार पर उपरोक्त भूमि को नीलाम किया गया एवं नीलामी राशि प्राप्त कर उनके नाम पृथक – पृथक विक्रय प्रमाण पत्र निर्गत किया था तथा नीलाम की गई भूमि पर निर्विवाद शांतिपूर्ण दखल कब्जा विधिवत सौंप दिया गया ।

Displaced Person (Compensation and Rehabilitation) Act 1954 की धारा 20 के अनुसार – *(1) Subject to any rules that may be made under this Act, the managing officer or managing corporation may transfer any property out of the compensation pool- (a) by sale of such property to a displaced person or any association of displaced persons, whether incorporated or not, or to any other person, whether the property is sold by public auction or otherwise; (b) by lease of any such property to a displaced person or an association of displaced persons, whether incorporated or not, or to any other person; (c) by allotment of any such property to a displaced person or an association of displaced persons whether incorporated or not, or to any other person, on such valuation as*

the Settlement Commissioner may determine; (d) in the case of a share of an evacuee in a company, by transfer of such share to a displaced person or any association of displaced persons, whether incorporated or not, or to any other person], notwithstanding anything to the contrary contained in the Indian Companies Act, (7 of 1913) or in the memorandum or articles of association of such company; (e) in such other manner as may be prescribed. (e) in such other manner as may be prescribed.

(2) Every managing officer or managing corporation selling any immovable property by public auction under sub- section (1) shall be deemed to be a Revenue Officer within the meaning of sub- section (4) of section 89 of the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908).

उपरोक्त विवेचना के आधार से यह विदित होता है कि निष्क्रांत सम्पति सह अर्जन अधिनियम,1954 के अन्तर्गत, विषयांकित भूमि निष्क्रांत सम्पति घोषित होने के उपरान्त पूर्णतः केन्द्र सरकार के अधिन निहित हो गया था तथा धारा 20 के अनुसार केन्द्र सरकार को यह अधिकार प्राप्त था कि वे वैसी भूमि को प्रबंध अधिकारी के माध्यम से निलाम कर बंदोबस्त कर सकते थे। केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रबंध अधिकारी को राजस्व पदाधिकारी का दर्जा प्राप्त था। तदानुसार वर्ष 1960 में केन्द्र सरकार ने गया, पुरुलिया, हजारीबाग, राँची जिले के अन्तर्गत निष्क्रांत सम्पति के निष्पादन हेतु निलामकर्त्ता पी0 पारस दास एण्ड सन्स नियुक्त किया, जिनके द्वारा संचलित निलामी कार्यक्रम मे उपरोक्त व्यक्तियों अर्थात श्रीमती मेधीबाई, रहमातुल्ला असारी, बरुआ महतो, किशुन महतो एवं मंगरा लोहार को अधिकतम बोली के आधार पर उपरोक्त भूमि को नीलाम किया गया एवं नीलामी राशि प्राप्त कर उनके नाम पृथक – पृथक विक्रय प्रमाण पत्र निर्गत किया गया

उपरोक्त तथ्यो को अंचलाधिकारी द्वारा नकारा नहीं गया है। विषयांकित भूमि की निलामी तथा बंदोबस्ती केन्द्र सरकार के अधिकृत पदाधिकारी द्वारा किया गया है तथा उपरोक्त बंदोबस्ती के आधार पर बंदोबस्तधारी के नाम से जमाबंदी संधारित कि गई, जो वर्तमान समय तक कायम है।

न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, राँची।

केस का सं0 और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख के साथ
1	2	3
	10 अतः प्रस्तुत वाद की कार्रवाई बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4 (एच0) के अन्तर्गत पोषणीय प्रतीत नहीं होता है। अतएव इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। अपर समाहर्त्ता, राँची। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता राँची।	

Digitally signed by RAJESH KUMAR BARWAR
Date: 2021.08.14 13:11:05 +05:30
Location: 192.168.0.8